

**कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)**

क्रमांक 62

दिनांक: 29-8-24

**रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश**

एतद आदेश करने के बाद-15(2) के अन्तर्गत रिमाण्ड का प्रयोग करते हुए मुख्य न्यायालय सोनी आर.पे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा बाबत माल-तिरुवार 2024 में दिनांक 01.09.2024 के दिवस को अवकाश को दौसा जिला न्यायालय के समस्त कार्य को सोनी आर.पे.एस. में अंतर करने वाले आदेश को अंग्रेजी में जारी करने के लिए पुलिस अधीक्षक रिमाण्ड, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय-दौसा एवं अन्य अवकाश करने के सुझाव हेतु जारी किया गया है।

- | क्र.सं. | मुख्य न्यायिक अधिकारी | पदनाम                                   | दिनांक     |
|---------|-----------------------|---|------------|
| 01      | श्रीमती कविता शर्मा   | न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीसुंदर जिला-दौसा | 01.09.2024 |
- निर्देश - 01 -** अवकाश के दिन न्यायालय में होने का समय 11:30 रा.प. से 02:00 पी.एम. तक रहेगा।
- 02 - प्रेषण प्रतिनिधियों में सुविधा को नियंत्रित पर ध्यान रखते समय नियत स्थान में प्रेषण न करके बहाल रखा जाये तथा सुविधा को भंग करने वाले अधिकारी सम्बन्धित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।
- 03 - अतिरिक्त जिला एवं पीठसोनी अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिन के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्वी कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पन्न करें।
- 04 - पीठ सोनी कार्यालय से अतिरिक्त तिथि के दिन पश्चात्पूर्वी दिवस का रातकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो पीठ सोनी अधिकारी उस कार्य करने को रातकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत तिथि करें।
- 05 - नियत तिथि को दिवस को पीठ सोनी आत्मनिर्भर घटना या अचानक कार्यों से अतिरिक्त अधिकारी को ड्यूटी करने में अनुमति है तो वे पीठ अन्य अधिकारी को नियत समूह में प्रेषण कर इस कार्यालय को सूचित करें तथा इस कार्यालय द्वारा निर्धारित आदेश जारी करने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

(02)

न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा के निर्देशानुसार दौसा न्यायालय में प्रोटोकॉल कार्य को सुचारु रूप से निष्पन्न करने के लिए माल-तिरुवार 2024 में जारी बचत में न्यायिक अधिकारी को उनके आगे अतिरिक्त अवकाश के दिन में पढ़ने वाले रातकीय अवकाश में प्रोटोकॉल का कार्य सम्पन्न करने के लिए अतिरिक्त किया जाता है -

- | क्र.सं. | मुख्य न्यायिक अधिकारी | पदनाम   | अवधि                               |
|---------|-----------------------|---|------------------------------------|
| 01      | श्रीमती रचना बरौत     | विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आर्.एच.एच.प्रकार) दौसा | दिनांक 01.09.2024 से 07.09.2024 तक |

नोट - इस संख्या 4 व 5 पर बचत निर्देश लागू रहेंगे।

*(Handwritten Signature)*  
(रविकान्त सोनी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
दौसा जिला-दौसा (राज.)

दिनांक:- 29-8-24

क्रमांक:- 2321

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाएं प्रेषित हैं:-

- 01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
- 02- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा यात्रा सूचित करने समस्त आरक्षी केंद्र
- 04- श्रीमान् सचिव महोदय, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, दौसा
- 05- सम्बन्धित अधिकारी सर्वे की
- 06- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
- 07- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
- 08- अवर/सचिव वर एनोतिरसन, न्यायालय परिसर दौसा
- 09- वर- निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
- 10- प्रभावी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
- 11- जिला कारागृह दौसा
- 12- निरन्तर ऑफिसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठसोनी अधिकारियों एवं न्यायालय को भंग करने तथा जिला न्यायालय दौसा की वेबसाइट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- 13- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

*(Handwritten Signature)*  
(रविकान्त सोनी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
दौसा जिला-दौसा (राज.)